

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फॉस्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर

नारायणी देवी बनाम राजू वगै०

क्रमा नम्बर 264 / 2025

नांक आज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.2025	<p>यह वाद वादी की ओर से गौरव शर्मा अधि० ने धारा 88,188 आर०टी०एक्ट० के तहत पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि० एडी से करवाई जाकर रजि०एडी व ट्रेकिंग रिपोर्ट आगामी तारीक पेशी से पूर्व पेश करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते तलवी हेतु दिनांक 10.09.2025 को पेश हो।</p>	
<p>10/9/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>पत्रावली</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलवी/जवाब <u>पत्रावली</u> दिनांक <u>10/9/25</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (फॉस्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर</p>
<p>6/10/25</p>	<p>पत्रावली पेशा रजिस्टर वादी अह नही। रजिस्टर वादी के न्यायालय सहायक के वाद सार तीन सार शब्द लगावहि गदि के उपरान्त भी उपस्थित नही करे पर वादी का वाद नपद हापरी अफत पेशी ने खारीप सिपा पद है। पत्रावली के सम शुभार केत तप नपद के कप डी।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (फॉस्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर</p>